झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–02

त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र
सोमवार, दिनांकः–18 दिसम्बर, 2023 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 12:55 अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–48

(क) उत्तरित कुल–02	अ०सू०–33, श्री प्रदीप यादव,	स0वि0स0	
	अ०सू०–06, श्री कमलेश कुमार सिंह,	स0वि0स0	
(ख) स्थगित कुल–01	अ०सू०–22, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	स0वि0स0	(दिनांक–19.12.2023 के लिए स्थगित)
(ग) अनागत कुल–45	क्रम संख्या–04 से 48 तक।		

(शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही 11:23 पूर्वा० में 12:30 अप० तक के लिए स्थगित)

(पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

2. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा राज्य सरकार में विभिन्न विभागों के भिन्न–भिन्न संवर्गों में कितने संविदा/अनुबंध/आउटसोर्सिंग कर्मी कार्यरत् हैं, से संबंधित दिये गये कार्यस्थगन विषय पर चलते सत्र में चर्चा संभव होने तथा माननीय सदस्य श्री भानु प्रताप शाही द्वारा दी गयी कार्यस्थगन की सूचना विधान सभा के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं होने के कारण अमान्य किया गया।

3. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

श्री मंगल कालिन्दी
श्री उमा शंकर अकेला (अधिकृत मा0 सदस्य डॉ0 इरफान अंसारी द्वारा पढ़ा गया)
डॉ0 इरफान अंसारी
श्री समीर कुमार महान्ती
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की

डॉ0 लम्बोदर महतो
श्री राजेश कच्छप
श्री रामचन्द्र सिंह
श्री लोबिन हेम्ब्रम
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी
श्री संजीव सरदार
श्री मथुरा प्रसाद महतो
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह
श्रीमती सुनिता चौधरी

4. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत् डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

5. आसन से सूचना

1. आसन द्वारा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पुण्य तिथि के अवसर पर सभा सचिवालय स्थित उनके तैल–चित्र पर माल्यार्पण किये जाने की सूचना सभी माननीय सदस्यों को दिया गया।
2. आसन द्वारा राजकीयकृत उच्च विद्यालय, माण्डर के छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों का आज की कार्यवाही देखे जाने की सूचना के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित की गयी।

6. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

आसन से पुकारे जाने पर महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की प्रभारी मंत्री, श्रीमती जोबा मांझी द्वारा–

1. झारखण्ड राज्य दिव्यांगजन अधिकार नियमावली–2016 (2016 का 49) की धारा 101 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के आलोक में बनायी गयी झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।
2. झारखण्ड राज्य माता–पिता भरण–पोषण और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियम, 2007 (2007 का केन्द्रीय अधिनियम 56) की धारा 32(1) द्वारा प्रदत शक्तियों के आलोक में बनायी गयी झारखण्ड राज्य माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियम, 2014 की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।
3. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों के आलोक में बनायी गयी Jharkhand Juvenile Justice (Care and Protection Children) Roles, 2017 की एक प्रति सभा पटल पर रखा गया।

7. सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना

आसन से पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, संयोजक, विशेष समिति के द्वारा झारखण्ड विधानमण्डल के माननीय मुख्य सचेतकों, सचेतकों, पदाधिकारियों, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं की समीक्षा एवं वृद्धि के निमित्त सुझाव देने हेतु गठित विशेष समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

8. वित्तीय कार्य

आसन से पुकारे जाने पर वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रामेश्वर उराँव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 8111,77,15,000–(आठ हजार एक सौ ग्यारह करोड़ सतहत्तर लाख पन्द्रह हजार) रूपये मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण सभा में उपस्थापित किया गया।

द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक–18 दिसम्बर, 2023 को 04:00 बजे अप० तक सभा सचिव को दे सकेंगे।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक–19 दिसम्बर, 2023 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–18 दिसम्बर, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।